

2020

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-95/2020-21

1. बुद्धदेव नायक, पिता-स्व० महादेव नायक,
सा०-टांगरटोली, बुण्डू, जिला-राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. गणेश नायक वगैरह.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-718 R27/2019-20 में दिनांक-29.06.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा(डी०)	चौहदी
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	253	375.5	उ०-लोबिन महतो एग्रीमेंट D.D.6570 11-8-1980 संतोष मुण्डा। द०-मुचि कोईरी, देवनाथ महतो, पू०-धनई अहीर, खेपा अहीर, जयराम महतो, लालु महतो, भोला महतो, बाबु महतो।
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	200	19	उ०-वैधा महतो, द०-मालू मुण्डा, पू०-महावरी महतो, प०-वैधा महतो।
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	251	20	उ०-वैधा महतो वगैरह, द०-महावीर महतो, पू०-वैधा महतो वगैरह, प०-वादल महतो,
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	241	17.5	उ०-वादल महतो, द०-सनतोष मुण्डा, पू०-वादल महतो, प०-महावीर महतो,
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	254	14	उ०-सनतोष मुण्डा, द०-नीज, पू०-मोहन अहीर, प०-नीज,
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	302	273	उ०-पौडू महतो, द०-303, हेमलाल महतो, पू०-राजन्द्र महतो, प०-मिकू जयसवाल,
बुण्डू	बुण्डू/28	1209	303	104	उ०-नीज, द०-हेमलाल महतो, पू०-राजेन्द्र महतो, प०-शिव महतो, लिलू महतो।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-718 R27/2019-20 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार नामांतरण आवेदन की जाँच Corona Virus (Covid-19) संक्रमण से बचाव हेतु बुण्डू अनुमंडल में पूर्णता: Lockdown के कारण राजस्व अभिलेख/स्थानीय जाँच सम्भव नहीं है। आवेदन पर वर्तमान में कोई प्रतिवेदन अंकित करना संभव नहीं है। अतः संभावित अनिश्चितकालीन संक्रमण को देखते हुए नामांतरण अस्वीकृत करने के अनुशंसा पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनसे प्राप्त दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8-11/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

8-11/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

11/48(117)

31.12.20

order mutation
appeal 2020-21_2